सड़क प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

सं 13/12/2012-एलपीएआई.—भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती विनियम**,** 2016 **है** ।

(**2**) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों** की **संख्या, वर्गीकरण,** और **वेतनमान.**—पदों की संख्या**,** उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वे होगें**,** जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3**. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त **पदों** पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5**. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सचिव	1* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 4 ; 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 4 ; 37400-67000 रु + ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो प्रशासन, नीति, मानव संसाधन विकास, सर्तकता और विधिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
2. निदेशक (तकनीकी)	1* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 4; 37400-67000 + रु. ग्रेड वेतन 8700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**प्रतिनियुक्ति**

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य पद धारण किए हुए हो ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जो सिविल इंजीनियरी में कार्य करने का अनुभव और सन्निर्माण क्रियाकलापों को मानीटर करने का अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
3. निदेशक	1* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 4 ; 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो । (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो व्यापार और वाणिज्य, नीति, योजना और विकास, प्रशासन, वित्त और विधिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
4. उप सचिव	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो वित्त, लेखा, नीति, योजना और विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
5. अवर सचिव	3* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-30100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**प्रतिनियुक्ति**

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखतें हो ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
6. कार्यकारी इंजीनियर	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो । (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
7. प्रबंधक	7* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखतें हो।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
8. अनुभाग अधिकारी	3* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
9. सहायक इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल)	2* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
10. निजी सचिव	4* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड -2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो । (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो केन्द्रीय सरकार के विभाग में निजी सचिव के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
11. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल)	2* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतन मान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
12. सहायक	16* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
13. व्यैक्तिक सहायक	4* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतन मान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) सरकारी विभाग में निजी सहायक के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा - जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एस समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
14. ज्येष्ठ लेखाकार	1* (2016)	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो लेखा या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **अल्पकालिक संविदा -** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा

उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
15. लेखाकार	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो । (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **अल्पकालिक संविदा** - जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
16. आशुलिपिक श्रेणी घ	10* (2016)	लागु नहीं होता।	वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन ..... रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो केन्द्रीय सरकार के विभाग में व्यैक्तिक सहायक के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **अल्पकालिक संविदा -** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
17. रोकड़िया	1* (2016)	लागु नहीं होता।	वेतन बैंड - 1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन ..... रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो लेखाओं या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने अथवा रोकड़ के हथालन का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **अल्पकालिक संविदा -** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

युद्धवीर सिंह शेहरावत, अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

[विज्ञापन -III/4/असा./378(391)]

(Department of Border Management)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

No. 13/12/2012-LPAI.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 35 read with Section 10, of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India, with the prior approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment of the various posts in the Land Ports Authority of India, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay. –** The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person –

shall be eligible for appointment to the said posts:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Secretary	1 (2016)	Not applicable	Rs. 37400-67000 in PB 4 plus grade pay Rs. 10000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 37400-67000 (pay band 4) with grade pay Rs.8700/- or equivalent; and (b) possessing experience in the field of administration, policy, human resource development, vigilance, and legal matters. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2. Director (Technical)	1 (2016)	Not applicable	Rs. 37400-67000 in PB 4 plus grade pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post or the post of Superintending Engineer in Central Public Works Department or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs.7600 or equivalent; and (b) possessing experience of working in civil engineering or equivalent and having experience of monitoring of construction activities.	Not applicable	Not applicable.

			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Director	1 (2016)	Not applicable	Rs.37400-67000 in PB 4 plus grade pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs.15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs.7600/- or equivalent; and (b) possessing experience in the field of trade and commerce, policy, planning and development, administration, finance and legal matters. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy Secretary	1 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus grade pay Rs. 7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.

			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 6600/- or equivalent; and (b) possessing experience in the field of finance, accounts, policy, planning and development. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Under Secretary	3 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus grade pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 5400/- or equivalent; and (b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Executive Engineer	1 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 4600 or equivalent; and (b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Manager	7 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation—** Officers of the Central Government or State Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 5400 or equivalent; and (b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in	Not applicable	Not applicable.

			another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Section Officer	3 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government or State Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200/- or equivalent; and (b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Assistant Engineer (Civil and Electrical)	2 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and (b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in the Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Private Secretary	4 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus Grade pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and (b) possessing experience of working as Private Secretary in a department of the Central Government. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract—** Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
11. Junior Engineer (Civil and Electrical)	2 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and (b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in the Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Assistant	16 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.

			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs. 2800/- or equivalent; and (b) possessing experience in the fields of administration, human resource development, finance. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Personal Assistant	4 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale	Not applicable	Not applicable.

			of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs. 2800/- or equivalent; and (b) possessing experience of working as personal assistant in the government department. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Senior Accountant	1 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs. 2800/- or equivalent; and (b) possessing experience of working in accounts or finance, projects. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	Not applicable	Not applicable.

			appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Accountant	1(2016)	Not applicable	Rs. 5200-20200 in PB 1 plus grade pay Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs.--------/- or equivalent; and (b) possessing experience of working in accounts or finance, projects. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

			Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Stenographer Grade D	10 (2016)	Not applicable	Rs. 5200-20200 in PB 1 plus grade pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs.----------/- or equivalent; and (b) possessing experience of working as personal assistant in the government department. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract**— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Cashier	1(2016)	Not applicable	Rs. 5200-20200 in PB 1 plus grade pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	**Deputation—** Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs.----------/- or equivalent; and (b) possessing experience of working in accounts or finance projects or handling of cash. **Note 1.—** Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. **Short term contract—** Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	Not applicable	Not applicable.

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman of the Land Ports Authority of India.

[ADVT.-III/4/Exty./378 (391)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.